

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पुलाकी देवी वगी० बनाम ओकी देवी वगी०

किसम मुकदमा दावा अर्था 53, 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नम्बर - 107/2025


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
परमाणु जो हुकम
हुकम की तारीख
में जारी हुई

17-06-2025

वादीगण की ओर से श्री सुरेश कुमार लाम्बा, एड० ने स्वयं उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम- 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तागिल दिनांक 10.07.2025 को पेश हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

10.7.25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मोटेन में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक ~~31.7.25~~ को पेश हो।




31.7.25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक ~~19.8.25~~ को पेश हो।

19.08.2025

पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से श्री सुभाष यादव एड० ने वकालतनामा मय एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण हाजा को विझा किये जाने का पेश कर वादपत्र को निवेदन किया है। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील वादीगण को सुना जाकर वादपत्र के विझा किये जाने का निवेदन स्वीकार किया जाता है। वकील वादीगण के निवेदन पर उक्त वादपत्र को इसी स्तर पर विझा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।




(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)